(36)

क्रम संख्या–09 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 27 जनवरी, 2021 ई0

माघ 07, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 28/XXXVI(3)/2021/77(1)/2020

देहरादून, 27 जनवरी, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020'** पर दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 04, वर्ष– 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) अधिनियम, 2020
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2021)

उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 54 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 54 की उपधारा (3) में "इक्कीस दिन" शब्दों के स्थान पर "दस दिन" शब्द रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

कारण और उद्देश्य

स्वामित्व योजना के कार्यों को त्वरित गति से सम्पादित किये जाने के दृष्टिगत् उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–54 की उपधारा (3) में उल्लिखित अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों सम्बन्धी विवादों का निपटारा के सम्बन्ध में नोटिस तामीली उपरान्त आपत्ति हेतु निर्धारित 21 दिनों की समय–सीमा में संशोधन करते हुये अधिकतम 10 दिन किया जाना प्रस्तावित है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।

No. 28/XXXVI(3)/2021/77(1)/2020
Dated Dehradun, January 27, 2021

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901) (Amendment) Act, 2020' (Act No. 04 of 2021).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 22 January, 2021.

The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901) (Amendment) Act, 2020
(Uttarakhand Act no. 04 of 2021)

AN
ACT

further to amend (The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901) (U.P. Act no 3 of 1901) (as applicable in the State of Uttarakhand) in the context of the State of Uttarakhand;

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-first year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 54

2. In sub-section (3) of Section 54 of The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no 3 of 1901) (as applicable in the State of Uttarakhand) for the words "twenty one days" the words "ten days" shall be substitute.

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

Statement of Objection and Reasons

In view of speedy execution of the work of Swamitva Yojna, the 21-day time limit prescribed for objection after submission of notice regarding settlement of disputes related to entry by record officer mentioned in sub-section 3 of section 54 of Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (as in force in the State of Uttarakhand), is proposed to be amended to a maximum time limit of 10 days.

2- The proposed bill serves the above purpose.

Trivendra Singh Rawat
Chief Minister

पी०एस०यू० (आर०ई०) 07 विधायी / 54–2021–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।